झारखण्ड सरकार

झारखण्ड की स्वच्छता नीति

सैनिटेशन पॉलिसी झारखण्ड

निर्मल भारत अभियान की
नीतिगत दिशा निर्देशों के संगत रूपांतरित

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार, जून 2013

झारखण्ड सरकार

झारखण्ड की स्वच्छता नीति

सैनिटेशन पॉलिसी झारखण्ड

निर्मल भारत अभियान की नीतिगत दिशा निर्देशों
के संगत रूपांतरित

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार, जून 2013

हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री
झारखण्ड

सन्देश

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम **'निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम'** के नीतिगत दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए **'झारखण्ड की स्वच्छता नीति'** अर्थात् 'सैनिटेशन पॉलिसी झारखण्ड' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। इसके माध्यम से लोगों को झारखण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान की राष्ट्रीय मार्गदर्शिका, ग्रामीण झारखण्ड में स्वच्छता आच्छादन, झारखण्ड में जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की प्रस्तावित सांगठनिक संरचना सम्बन्धी सभी विषयों की जानकारी मिल सकेगी।

स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी प्रत्येक बिन्दु पर सुनिश्चित हो, यह झारखण्ड स्वच्छता नीति की मूलभूत अवधारणा है।

मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तुत स्वच्छता नीति ग्रामीण झारखण्ड को खुले में शौच से मुक्त करने की चुनौतियों का मार्गदर्शन करेगी और राज्य में ग्रामीण आबादी के स्वच्छता व्यवहारों को उन्नत करने में सहायक होगी।

मैं **'झारखण्ड की स्वच्छता नीति'** पुस्तिका के सफल प्रकाशन हेतु अपनी अनन्त मंगलकामनाएँ अर्पित करता हूँ।

(हेमन्त सोरेन)

जयप्रकाश भाई पटेल
मंत्री
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार।

सन्देश

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्मल भारत अभियान मार्गदर्शिका ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश उपलब्ध कराती है। इस संदर्भ में निर्मल भारत अभियान की नीतियों के संगत कार्य करते हुए झारखण्ड राज्य की स्थानीय परिस्थितियों के आलोक में राज्य हेतु एक विशिष्ट स्वच्छता नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। प्रस्तुत झारखण्ड स्वच्छता नीति उसी आवश्यकता की पूर्ति की ओर एक ठोस प्रयास है।

झारखण्ड स्वच्छता नीति के अंतर्गत राज्य में स्वच्छता अभियान क्रियान्वयन हेतु अनुसरण की जाने वाली नीतियों, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की संस्थागत प्रणाली तथा क्षेत्र में कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संचालानात्मक मार्गदर्शिका के अपरिहार्य पहलुओं पर विस्तृत दिशा–निर्देश शामिल है। साथ ही राज्य के परिप्रेक्ष्य में संवाद रणनीति, कार्यक्रम के अंतर्गत क्षमता संवर्द्धन गतिविधियाँ, कार्यक्रम अनुश्रवण के विभिन्न पहलुओं, मनरेगा के साथ अभिषरण, परिक्रामी निधि के उपयोग, अन्य विभागों के साथ सहयोग जैसे विभिन्न अपरिहार्य मुद्दों पर भी दिशा–निर्देश प्रस्तुत स्वच्छता नीति में शामिल किए गए हैं।

स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वयन में समुदाय एवं पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी कार्यक्रम क्रियान्वयन के प्रत्येक बिन्दु पर सुनिश्चित रहे, यह झारखण्ड स्वच्छता नीति की मूलभूत अवधारणा है। मुझे उम्मीद है कि यह स्वच्छता नीति राज्य के सामने उपस्थित स्वच्छता लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन की भूमिका निभायेगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों का नेतृत्व करेगी।

दिनांक :

(जयप्रकाश भाई पटेल)
मंत्री
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
झारखण्ड सरकार।

प्राक्कथन

राष्ट्रीय स्तर पर निर्मल भारत अभियान के प्रवर्तन के साथ राज्य में पिछले एक दशक से क्रियान्वित स्वच्छता अभियान के पुनरावलोकन की आवश्यकता प्रतीत हुई ताकि राज्य के लिए एक स्वच्छता नीति विकसित की जा सके जो स्वच्छता अभियान के हमारे विगत अनुभवों को समाहित करते हुए क्रियान्वयन क्रियाविधि में उत्पन्न अंतरालों को पाट सके।

राज्य में स्वच्छता कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति की आकांक्षा को परिपोषित करने एवं क्षेत्र में अभियान क्रियान्वयन को दिशा देने के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड की स्वच्छता नीति तैयार की गई है। इस नीति के दिशा निर्देशक सिद्धांत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं राज्य में स्वच्छता अभियान से जुड़े सहयोगी संस्थाओं और स्वयंसेवी संगठनों के अनुभवों पर आधारित है।

यह स्वच्छता नीति सभी हिस्सेदारों (Stakeholders) को जमीनी तथा नीतिगत स्तर पर झारखण्ड राज्य में निर्मल भारत अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से कार्य करने की अपील करती है। मैं आशा करता हूँ कि प्रस्तुत स्वच्छता नीति ग्रामीण झारखण्ड को खुले में शौच से मुक्त करने की चुनौतियों का मार्गदर्शन करेगी और राज्य में ग्रामीण आबादी के स्वच्छता व्यवहारों को उन्नत करने में सहायक होगी।

(सुधीर प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

अनुक्रमणिका

पृष्ठ संख्या

अध्याय : 1

1.0 पृष्ठभूमि 1

1.1 झारखण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम 1

1.2 निर्मल भारत अभियान की राष्ट्रीय मार्गदर्शिका–एक अवलोकन 3

1.3 निर्मल भारत अभियान–झारखण्ड के संदर्भ में 5

अध्याय : 2

खण्ड–1 : नीति कथन 9

खण्ड–2 : संस्थागत प्रणाली 12

खण्ड–3 : संचालनात्मक मार्गदर्शिका 16

आरेख, तालिका एवं दृष्टांतों की सूची

- लेखाचित्र– 1 व 2 ग्रामीण झारखण्ड में स्वच्छता आच्छादन 1–2
- तालिका:1 निर्मल भारत अभियान निधि प्रवाह प्रणाली 5
- झारखण्ड में जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की प्रस्तावित सांगठनिक संरचना 30
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की सांगठनिक संरचना 31
- शब्द संक्षेप 32

अध्याय - 1

1.0 पृष्ठभूमि

झारखण्ड राज्य की स्थापना दिनांक 15 नवंबर 2000 को भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में की गई। राज्य के 24 जिलों के अंतर्गत 260 प्रखंड हैं जो 5 प्रमंडलों क्रमश: उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू एवं कोल्हान में विभक्त है। राज्य के 4564 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत कुल 32,394 राजस्व ग्राम हैं। जनगणना 2011 के अनुसार झारखण्ड का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किमी है। राज्य की कुल जनसंख्या 3.296 करोड़, जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी और जनसंख्या में दाशिकीय वृद्धि दर 22.34 प्रतिशत है।

झारखण्ड में लिंग अनुपात 947 और साक्षरता दर 67.63% है। राज्य में 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या 52,37,582 (कुल जनसंख्या का लगभग 16%) तथा शिशु मृत्यु दर (IMR) 41 एवं मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 261 है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार राज्य में कुल घरों की संख्या 61,81,607 है जिसमें जनगणना 2001 के परिप्रेक्ष्य में 21% की वृद्धि हुई है।

1.1 झारखण्ड में स्वच्छता कार्यक्रम

झारखण्ड में संपूर्ण स्वच्छता अभियान का प्रारंभ 2002–03 में किया गया और ग्रामीण घरों में स्वच्छकर शौचालय आच्छादन हेतु किये जा रहे प्रयास 2006–07 से 2010–11 के दौरान अपनी सर्वोतम गति पर पहुँच गए। राज्य में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रारंभ से अब तक कुल 37,29,495 घरों (लगभग 44%) को स्वच्छता आच्छादित किया जा चुका है और इस क्रम में 225 ग्राम पंचायत निर्मल पंचायत चिन्हित किए गए हैं।

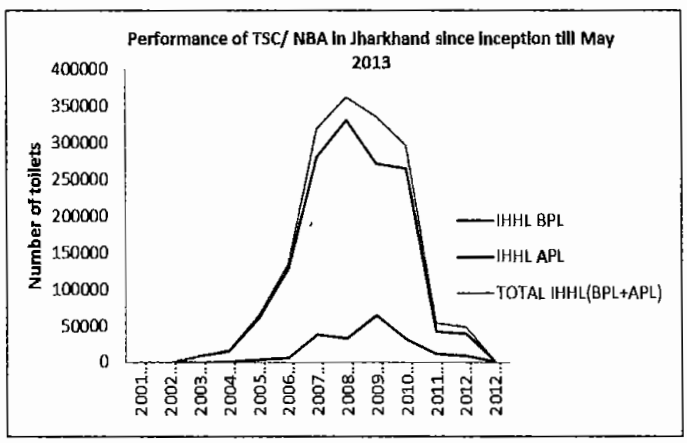

लेखाचित्र - 1 :
ग्रामीण झारखण्ड में स्वच्छता आच्छादन पर सामयिक रुझान:
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 2002–मई 2011

स्रोत : DDWS Website, भारत सरकार

यद्यपि जनगणना 2011 के आँकड़ें बताते हैं कि राज्य में केवल 8% घरों में ही कार्यशील शौचालय हैं। ये आँकड़ें स्वच्छता आच्छादित घरों में 36 प्रतिशत शौचालय आच्छादन अंतराल को दर्शाते हैं। यह आच्छादन स्थिति के स्लीप बैक का परिणाम है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 13 लाख घर संपूर्ण स्वच्छता अभियान द्वारा शौचालय उपलब्ध कराए जाने के बावजूद खुले में शौच की ओर पुन: उन्मुख हुए। यह आच्छादन अंतराल निम्न ग्राम से स्पष्ट है।

लेखाचित्र 2 : ग्रामीण झारखण्ड में शौचालय आच्छादन : DDWS और जनगणना 2011 के आँकड़ों की तुलना

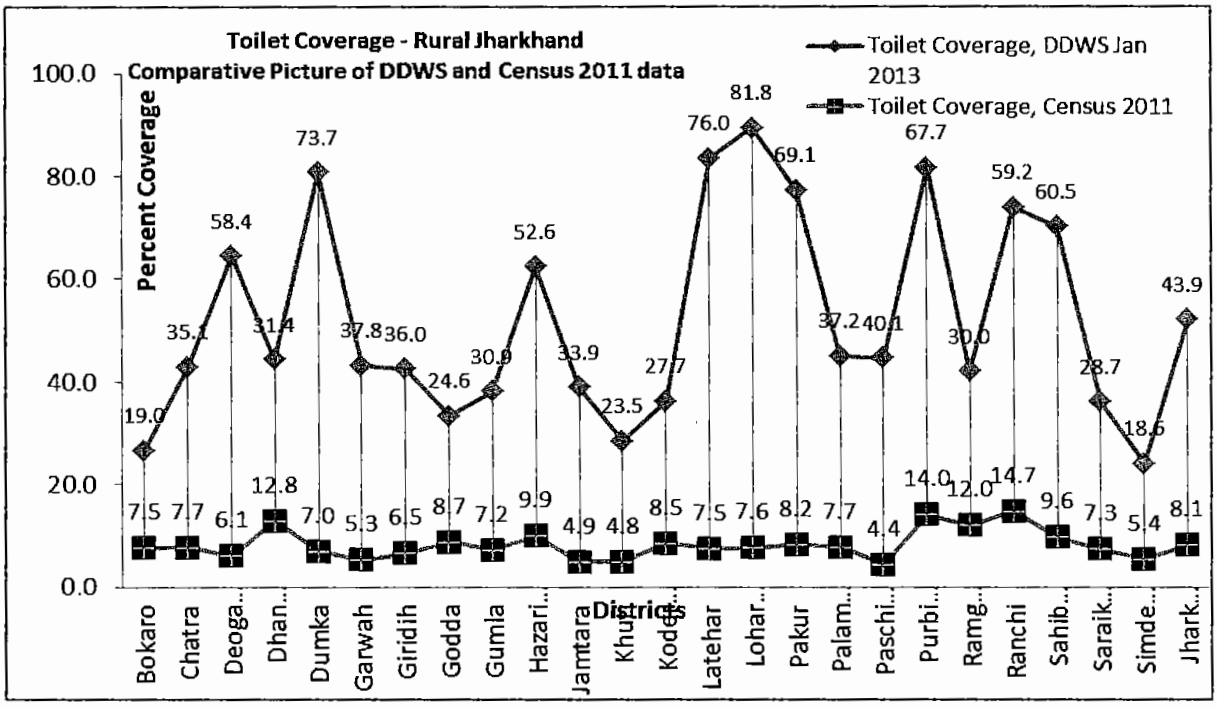

स्रोत : जनगणना 2011 और DDWS Website भारत सरकार

स्पष्टतया स्वच्छता आच्छादन पर प्रतिवेदित प्रगति और वास्तविक स्थिति के आँकड़ों के अंतर से ये तथ्य सामने आए हैं कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय आच्छादन/उपयोग की दर अत्यंत कम (लगभग 8%) है। यह वस्तुस्थिति चिंता के विषय के रूप में उभरी है। इन संदर्भों में संपूर्ण स्वच्छता अभियान क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों की समीक्षा कर एवं गत अनुभवों से प्राप्त सीख को ग्रहण कर निर्मल भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक रणनीति के विकास की नितांत आवश्यकता है।

उपरोक्त संदर्भों में राज्य की स्वच्छता नीति का सूत्रण किया गया है।

1.2 निर्मल भारत अभियान की राष्ट्रीय मार्गदर्शिका – एक अवलोकन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ''संपूर्ण स्वच्छता अभियान'' (टी.एस.सी.) का नाम परिवर्तित कर ''निर्मल भारत अभियान'' (एन.बी.ए.) किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन की गति को तीव्र करना है जिससे नयी रणनीतियों के द्वारा संतृप्तीकरण विधि से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से स्वच्छता आच्छादित किया जा सके। इस खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित निर्मल भारत अभियान मार्गदर्शिका के कुछ विवेचनात्मक पहलू प्रस्तुत किए गए हैं –

1.2.1 निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य :

निर्मल भारत अभियान के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता आच्छादन की गति में तेजी लाकर 2022 तक निर्मल भारत की अवधारणा को साकार करना।
- ग्रामीण क्षेत्र के सभी विद्यालयों और आँगनबाड़ी केन्द्रों में समुचित स्वच्छता सुविधाएँ स्थापित करना और छात्रों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ सफाई की आदतों को प्रोत्साहित करना।
- पारिस्थितकीय रूप से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता हेतु किफायती एवं उपयुक्त तकनीकों को बढ़ावा देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पारिस्थितिकीय स्वच्छता प्रणाली का विकास करना।

1.2.2 निर्मल भारत अभियान के मुख्य घटक इस प्रकार हैं –

- किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–यापन करने वाले (जैसा कि निर्मल भारत अभियान मार्गदर्शिका में चिन्हित है) परिवारों हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (IHHL) का प्रावधान।[1]

---

1 निर्मल भारत अभियान प्रोत्साहन राशि के अन्तर्गत सभी बी.पी.एल. परिवार शामिल है। साथ ही ए.पी.एल. परिवार के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिला प्रधान घर भी निर्मल भारत अभियान प्रोत्साहन राशि के दायरे में आते हैं – एन.बी.ए. मार्गदर्शिका, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार।

- ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन जिसके सभी वासस्थानों में पानी की सुविधा हो। उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनमें कार्यशील पाइप जलापूर्ति की सुविधा हो।
- इन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सरकारी विद्यालयों एवं सरकारी भवनों में संचालित आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान।
- प्रस्तावित और विद्यमान निर्मल ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था।
- हिस्सेदारों (Stake holders) यथा पंचायती राज संस्थाएँ (PRIs), ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) और क्षेत्रीय कर्मियों हेतु गहन क्षमता संवर्द्धन गतिविधियों की व्यवस्था जिससे स्थायी स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके।
- मनरेगा के साथ समुचित अभिषरण कर कुशल और अकुशल मजदूर उपलब्ध कराना।

1.2.3 निर्मल भारत अभियान क्रियान्वयन की रणनीति :

निर्मल भारत अभियान क्रियान्वयन की रणनीति 'समुदाय संचालित' और 'जनकेन्द्रित' नीतियों को अपनाकर समुदाय संतृप्तीकरण विधि से ग्रामीण भारत को निर्मल भारत में परिणत करना है। जागरूकता और माँग सृजन गतिविधियों पर जोर देते हुए सभी घरों, विद्यालयों में स्वच्छता सुविधा की बहाली एवं स्वच्छ पर्यावरण हेतु मांग उन्मुख दृष्टिकोण पर प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र अपनाये जायेंगे। इस संदर्भ में निर्धन से निर्धनतम परिवारों हेतु वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के प्रावधान को विस्तारित किया गया है जिससे संपूर्ण समुदाय को शौचालय आच्छादित किया जा सके। सृजित स्वच्छता सुविधाओं की स्थायित्वता हेतु ग्राम पंचायत में पानी की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक होगी।

सभी ग्रामीण घरों में स्वच्छता सुविधाओं की स्थापना हेतु मनरेगा के साथ अभिषरण अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जिससे कि ग्रामीण स्वयं की स्वच्छता सुविधाएँ सृजित करने के लिए निधि प्राप्त कर सकें।

1.2.4 क्रियान्वयन :

ग्राम पंचायत को इकाई लेकर निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन प्रस्तावित है। कार्यक्रम के भौतिक क्रियान्वयन हेतु वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा जिसके अंतर्गत लाभुक घर अपने

घरेलू शौचालय हेतु उपलब्ध विकल्पों में से एक का चयन कर सकेंगे। ''अभियान दृष्टिकोण'' के अंतर्गत समुदाय, पंचायती राज संस्थाएँ, सरकारी एजेन्सियों और दूसरे हिस्सेदारों के बीच एक सहयोगात्मक पारस्परिक क्रिया रूपांकित की जायेगी जिससे कि समुदाय में संबद्ध स्वच्छता व्यवहारों पर व्यवहारगत परिवर्तन लाया जा सके। निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन जिला के माध्यम से एक परियोजना के रूप में किया जायेगा।

Sl. No	Component	Amount earmarked as percent of the NBA project Outlay	Contribution share		
			GOI	State	Benef.
1	IEC Start-up Activity and Capacity Building	Up to 15%	80%	20%	0
2	Revolving Fund	Up to 5%	80%	20%	0
3a	Individual Household toilet (Rs.)	Actual amount required for full coverage	3200	1400	900
3b	Community Sanitary Complexes	Actual Amount required for full coverage	60%	30%	10%
4	Institutional Toilets (Schools and Anganwadis)	Actual Amount required for full coverage	70%	30%	0
5	Administrative Charges	Up to 4%	80%	20%	0
6	Solid/ Liquid Waste Management (Capital Cost)	Actual amount as per SLWM project cost within limits permitted	70%	30%	0

तालिका - 1 : निर्मल भारत अभियान का अवयववार कर्णांकन और वित्तपोषण पद्धति।

1.3 निर्मल भारत अभियान – झारखण्ड के संदर्भ में

1.3.1 झारखण्ड में निर्मल भारत अभियान के विभिन्न घटक निम्न मानकों पर क्रियान्वित किए जायेंगे :

1. कार्यक्रम का लक्ष्य खुले में शौच से मुक्त गाँव (राजस्व गाँव) और अंतत: खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों की स्थापना करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रत्येक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (प्रत्येक राजस्व ग्राम के स्तर पर स्थापित) खुले में शौच उन्मूलन योजना का सूत्रण करेगी।

   खुले में शौच उन्मूलन योजना, कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधि और समुदाय का अंशदान प्राप्त कर गाँव के सभी घरों में स्वच्छकर शौचालय आच्छादन के साथ-साथ सभी संस्थाओं में जल और स्वच्छता सुविधाओं का आच्छादन करेगी। गाँव में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु व्यवस्था कायम की जायेगी।

2. जो गाँव खुले में शौच से मुक्त होने के क्रम में है उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं हेतु कर्णांकित किया जायेगा।

3. खुले में शौच से मुक्त जो गाँव स्थापित होंगे उनमें समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा स्वच्छकर शौचालयों का उपयोग किया जायेगा। स्वच्छकर शौचालयों का अर्थ Pour Flush शौचालय होंगे जिसमें मल एक ढँके हुए लीच पीट[2] गड्ढे में जाएगा। इस हेतु तकनीकी विशिष्टता[3] का

2. कंक्रीट या फेरो सीमेन्ट से ढँका।
3. ग्रामीण पैन जिसमें जलबन्द लगा हो, ट्रेप एक जक्शन बॉक्स के साथ एक ढँके हुए गड्ढे से जुड़ा हो।

सटीकता से पालन किया जायेगा। शौचालय का ऊपरी ढाँचा उपयोगकर्ता की रूचि के अनुसार अलग–अलग होगा।

4. निर्मल भारत अभियान के तहत 4600 रुपये की प्रोत्साहन राशि के साथ–साथ 900 रुपये लाभुक का अंशदान, कुल 5500 रुपये उपलब्ध होंगे।

5. निर्मल भारत अभियान के मनरेगा से अभिषरण प्रावधानों के तहत 4500 रुपये तक की राशि प्राप्त होगी। अत: शौचालय की कुल लागत अधिकतम 10,000 रुपये होगी। मनरेगा निधि द्वारा निर्मित किए जा सकने वाले विभिन्न शौचालय मॉडल डी.डब्ल्यू.एस.एम./बी.आर.सी. में उपलब्ध रहेंगे।

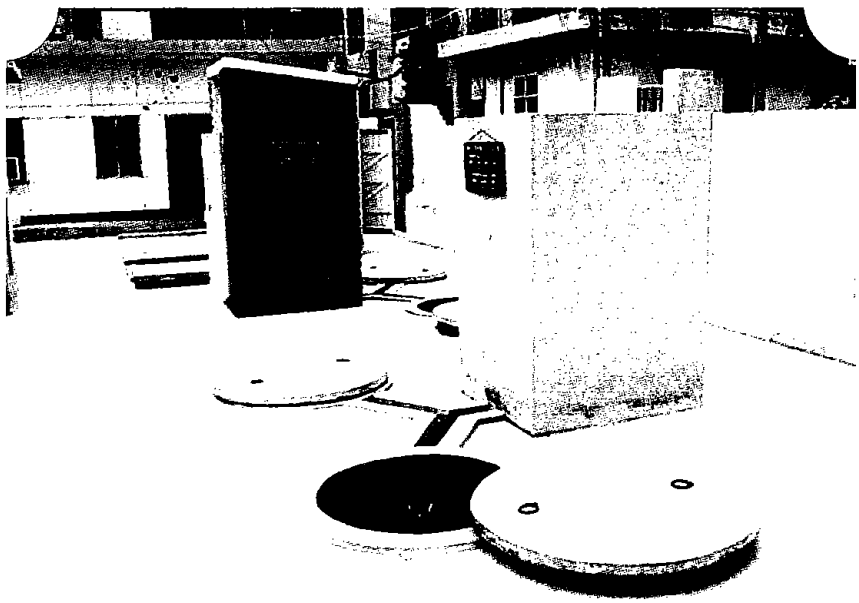

6 . सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आबादी वाले ग्रामीण वासस्थानों या सार्वजनिक स्थानों जैसे हाट बाजार में किया जायेगा। इस हेतु निर्मल भारत अभियान में 2,00,000 रुपये तक की राशि का प्रावधान किया गया है। सामुदायिक शौचालय कांप्लेक्स आवश्यक रूप से ''भुगतान और उपयोग'' (Pay and Use) शौचालय होंगे जिसका संचालन और रख–रखाव उपयोगकर्ताओं द्वारा सृजित राजस्व से किया

जायेगा।

7. ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु 150 घरों तक की आबादी वाले पंचायतों के लिए 7,00,000 रुपये लागत की योजना, 300 घरों तक की आबादी वाले पंचायतों हेतु 12,00,000 रुपये और 500 घरों तक के पंचायतों हेतु 15,00,000 रुपये की योजना क्रियान्वित होगी। 500 घरों से ज्यादा आबादी वाले पंचायतों हेतु ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना की लागत 20,00,000 रुपये होगी। निर्मल भारत अभियान के मनरेगा से अभिषरण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की वैसी योजना जिसमें कम से कम 35% मजदूरी अवयव (Labour Component) हो, उसमें मनरेगा से मजदूरी अवयव की राशि का अंशदान होगा। बीस लाख से अधिक राशि वाली योजना में अतिरिक्त राशि राज्य योजना/ग्राम पंचायत से ली जायेगी।

8. सभी विद्यालयों और आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छकर शौचालय कांप्लेक्स उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रति इकाई विद्यालय शौचालय कांप्लेक्स (जिसमें बालक और बालिकाओं दोनों के लिए अलग अलग शौचालय इकाई होंगे) और आँगनबाड़ी शौचालय की लागत क्रमश: 35,000 रुपये प्रति इकाई और 8,000 रुपये प्रति इकाई होगी। सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान के साथ-साथ इन संस्थाओं में स्वच्छता से संबंधित शिक्षा और व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहन संबंधित विभागों यथा झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (JEPC) और समाज कल्याण विभाग के साथ परामर्श द्वारा किया जायेगा।

1.3.2 उपरोक्त कार्यक्रम घटकों के क्रियान्वयन हेतु कार्यक्रम के मुख्य मुद्दे, जिन पर विचार करने की आवश्यकता है, इस प्रकार है –

अ. प्रशासनिक वरीयता के क्षैतिज क्रम में WSSO/SPMU, DPMU, BRC और VWSC का गठन कर एक मजबूत संस्थागत प्रणाली की स्थापना। सभी संस्थागत इकाइयों की भूमिका और उत्तरदायित्व का स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यदायित्वों के साथ सूत्रण। ग्राम स्तरीय संस्थाओं का खुले में शौच उन्मूलन योजना विकास हेतु सशक्तिकरण।

ब. ग्राम स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों के संचालन और खुले में शौच उन्मूलन योजना की तैयारियों हेतु मार्गदर्शिका।

स. घरेलू और समुदाय दोनों स्तर पर प्रभावी माँग सृजन हेतु संवाद रणनीति। संवाद रणनीति का लक्ष्य सामाजिक मानकों का संबोधन और सामूहिक तौर पर समुदाय द्वारा गाँव को खुले में शौच से मुक्त स्थायी स्थिति की प्राप्ति में भी सहयोग देना है।

द. कार्यक्रम क्रियान्वयन के विभिन्न पहलूओं पर हिस्सेदारों का क्षमता संवर्द्धन।

य. शौचालय निर्माण और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु स्पष्टतया परिभाषित आपूर्ति कड़ी प्रणाली। निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी की संभावनाएँ तलाशी जाएँगी और एन.बी.ए. के प्रावधानों के तहत उद्यमियों के सहयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा। ग्रामीण सैनिटरी मार्ट स्थापित करने हेतु उपलब्ध ऋण[4] और स्वयं सहायता समूहों को सहायता करने हेतु परिक्रामी निधि (Revolving Fund) की संभावना तलाशी जायेगी।

र. उपरोक्त गतिविधियों को सहयोग देने हेतु राज्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा एक राज्य संसाधन केन्द्र (State Resource Centre - SRC) का गठन किया जायेगा जो क्षमता संवर्द्धन और कार्यक्रम गतिविधियों के सहयोगी अनुश्रवण द्वारा राज्य और जिला स्तर की गतिविधियों का मार्गदर्शन करेगी। राज्य संसाधन केन्द्र क्रियान्वयन विधियों के प्रसार, पंचायतों का क्षमता संवर्द्धन, सूचना शिक्षा एवं संचार (IEC) योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन तथा प्रत्येक स्तर पर क्षमता संवर्द्धन को सहयोग देगी।

उपरोक्त संदर्भों में यह नीति दस्तावेज 3 खंडों में विभाजित किया गया है :–

(a) नीति कथन (खंड 1)

(b) संस्थागत प्रणाली (खंड 2)

4. जिले में उपलब्ध परिक्रामी निधि (Revolving Fund) द्वारा रुपये 3.5 लाख के ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान ग्रामीण सैनिटरी मार्ट/उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु दिया जा सकता है। अधिकतम 35 लाख रुपये तक इस उद्देश्य हेतु उपयोग किए जा सकते हैं। जिला प्रोजेक्ट आउटले की 5% राशि और कुल मिलाकर रुपये 50 लाख तक की राशि परिक्रामी निधि के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है।

अध्याय - 2

खंड - 1: नीति कथन

2.1 झारखण्ड में स्वच्छता नीति के उद्देश्य :

100% खुले में शौच से मुक्त गाँवों की स्थापना करना, जिसमें प्रत्येक परिवार/व्यक्ति को शौचालय उपलब्ध होंगे और उनके द्वारा नियमित रूप से शौचालय उपयोग किए जायेंगे; प्रत्येक ग्रामीण संस्था यथा विद्यालय, आँगनबाड़ी और अस्पताल में भी पर्याप्त स्वच्छकर शौचालय होंगे जो इनमें रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाये जायेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि स्थापित किए जाने वाले शौचालय और उनका उपयोग स्थायी होगा।

प्रत्येक गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट निपटान हेतु पर्याप्त व्यवस्था होगी और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक व्यक्ति खाने से पहले एवं शौच के बाद हाथ की धुलाई करेंगे और माताएँ शिशुओं के मल का निपटान समुचित रूप से करेंगी।

इन उद्दश्यों की प्राप्ति हेतु पंचायत के नेतृत्व में व्यापक सामुदायिक आंदोलन प्रारंभ किया जायेगा जिसमें महिलाओं की केन्द्रीय भूमिका होगी।

2.2 उपरोक्त उद्देश्य निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त किए जायेंगे :

100% खुले में शौच से मुक्त गाँव प्राप्त करने का अभियान पंचायत के नेतृत्व में संचालित किया जायेगा। पंचायती राज संस्थाओं के सबसे आधारभूत स्तर पर स्थापित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति कार्यक्रम क्रियान्वयन का मुख्य निकाय होगी। अत: कार्यक्रम संचालन का एक मुख्य उत्तरदायित्व ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का सशक्तिकरण एवं उसके साथ-साथ कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का क्षमता संवर्द्धन भी होगा।

स्वच्छता कार्यक्रम पूर्ण रूप से माँग उन्मुख होगा। समुदाय की संपूर्ण भागीदारी से प्रत्येक ग्राम हेतु सूत्रित खुले में शौच से उन्मूलन योजना के द्वारा संपूर्ण स्वच्छता की क्रियाविधि संपन्न की जायेगी। कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में से एक महत्वपूर्ण गतिविधि समुदाय को तकनीक का हस्तांतरण है जिससे कि आम आदमी स्वच्छकर शौचालय के क्रियात्मक पहलूओं को समझ सके।

कार्यक्रम पर सामुदायिक स्वामित्व को सुनिश्चित करने हेतु सर्वोतम मार्ग तलाशे जायेंगे। सबसे प्रारंभिक चरण में सामुदायिक लामबंदी हेतु जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में स्वयं सहायता समूहों की पहचान की जायेगी।

2.3 झारखण्ड में निर्मल भारत अभियान क्रियान्वयन का मुख्य चरण :

यह नीति स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वयन में स्थायित्वता की प्राप्ति की चुनौती को सर्वप्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में लेती है। इसका अर्थ यह है कि समुदाय को कार्यक्रम निधियों का हस्तांतरण तब तक नहीं होगा जब तक कि स्थायित्वता प्राप्ति के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नहीं होते। स्पष्टतया, आरंभिक क्रियाकलाप धीमी गति से प्रारंभ होंगे और इसमें गति प्राप्ति हेतु लगभग एक वर्ष का समय लग सकता है। ऐसा विचार किया जाता है कि 2018 तक की प्रोजेक्ट अवधि तक लगभग 50% ग्राम पंचायत पूर्ण रूप से निर्मल हो जायेंगे।

2.4 निर्मल भारत अभियान क्रियान्वयन के अवसर निम्नानुसार है :

- कार्यक्रम पूर्णत: वित्त पोषित है। इसमें किसी भी गतिविधि और अभिनवता हेतु निधि की कोई कमी नहीं है।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का व्यापक अनुभव है एवं अलग–अलग दृष्टिकोण से अपनाई गई क्रियान्वयन विधियों के विभिन्न पहलूओं की पूरी जानकारी है।
- निर्मल भारत अभियान मार्गदर्शिका में सुझाए गए संस्थागत प्रणाली के द्वारा कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध है।
- राज्य में क्षमता संवर्द्धन हेतु उत्कृष्ट अवसंरचना मौजूद है।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु निर्वाचित पंचायती राज सदस्य एक महत्वपूर्ण परिसंपति है।

2.5 स्वच्छता कार्यक्रम क्रियान्वयन में कुछ जोखिम भी हैं जिन्हें पहचाने जाने की आवश्यकता है। संभावित जोखिम इस प्रकार हैं :

- यद्यपि स्वयं सहायता समूहों की कार्यक्रम क्रियान्वयन के सर्वाधिक प्रभावी माध्यम के रूप में पहचान की गई है, परंतु ये सर्वत्र उपलब्ध नहीं है, अत: विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप वैकल्पिक प्रणाली चिन्हित किए जाने चाहिए।
- राज्य के विभिन्न भागों में कानून और व्यवस्था की स्थिति एक चिंता का विषय है। इसका स्थानीय स्तर पर ही निराकरण करने की आवश्यकता है।

खंड - 2 : संस्थागत प्रणाली

3.1 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (NRDWP) की मार्गदर्शिका (Annexure-7, Section-1) के अनुसार राज्य स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु शासकीय आदेश (NRDWP-29/09-118/SWSM) द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) की स्थापना की गई है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के अंतर्गत पूर्व से कार्यरत स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (SPMU) राज्य स्तर पर कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

भारत सरकार द्वारा संचारित नयी मार्गदर्शिका के आलोक में और अन्य राज्यों में क्रियान्वित बेस्ट प्रैक्टिस (उदाहरणत: गुजरात में WASMO और तमिलनाडु में TWAD) के परिप्रेक्ष्य में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य में पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु संस्थागत प्रणाली के सूत्रण के लिए पहल की गई है।

3.2 राज्य स्तर पर जल एवं स्वच्छता सहयोगी संगठन (Water & Sanitation Support Organisation-WSSO)/राज्य प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (State Programme Management Unit - SPMU) की स्थापना की गई है जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के विभिन्न तकनीकी पहलूओं पर कार्य करने हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। WSSO/SPMU क्षेत्र में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों का नेतृत्व करेगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को विशिष्ट क्षेत्रों यथा सामुदायिक सहभागिता और तकनीकी पहलूओं पर सहयोग देने हेतु एक या अधिक राज्य संसाधन केन्द्रों से भी सहयोग दी जायेगी। पेयजल आपूर्ति कार्यक्रमों और पर्यावरणीय स्वच्छता से संबंधित क्षेत्रों में संसाधनों के वितरण पर निर्णय लेने में सुविधा के लिए राज्यस्तरीय योजना स्वीकृति समिति (State Level Scheme Sanctioning Committee - SLSSC) की भी स्थापना की गई है। एन.बी.ए. योजनाओं के अनुमोदन हेतु राज्य योजना स्वीकृति समिति (State Scheme Sanctioning Committee - SSSC) का गठन किया गया है।

3.3 जिला स्तर पर दो महत्वपूर्ण इकाइयों यथा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) और जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) का गठन किया गया है। नीति निर्णय से संबंधित गतिविधियाँ जिला जल एवं

स्वच्छता मिशन (DWSM) जिसके अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष होते हैं, के द्वारा की जायेगी। जिला जल एवं स्वच्छता समिति (DWSC) की अध्यक्षता उपायुक्त के द्वारा की जाती है और यह जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की क्रियान्वयन इकाई के रूप में कार्य करेगी। जिला जल एवं स्वच्छता समिति को जिला प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा सहयोग दिया जायेगा जिसमें जिला स्तर पर कार्य करने हेतु अवयववार समन्वयक रहेंगे।

3.4 प्रखंड स्तर पर प्रखंड संसाधन केन्द्र (BRC) गठित किए जायेंगे। बी.आर.सी. क्षेत्र में कार्यक्रम गतिविधियों को सहयोग देने और अनुश्रवण का कार्य करेंगी। बी.आर.सी. के प्रबंधन हेतु राज्य स्तर पर स्पष्टतया परिभाषित चयन प्रक्रिया द्वारा योग्य स्वयं सेवी संस्थाओं (NGO) का चयन किया जायेगा।

2010 से कार्यरत नव निर्वाचित पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ कार्य करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा एक नोडल एजेंसी के रूप में गत एक वर्ष में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनके द्वारा पंचायतों को विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों यथा निर्मल भारत अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के योजना और क्रियान्वयन में शामिल किया जा सके।

3.5 प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर एक ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) की स्थापना की जाएगी।[5] वी.डब्ल्यू.एस.सी. के पास चालू बैंक खाता होंगे और वी.डब्ल्यू.एस.सी. जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम निधि प्राप्त करेगी। ग्राम पंचायत (राजस्व ग्रामों का समूह) के स्तर पर सभी वी.डब्ल्यू.एस.सी. में समन्वय स्थापित करने के मूल उद्देश्य से ग्राम पंचायत जल एवं स्वच्छता कमेटियाँ भी गठित की जायेंगी।

3.6 ग्राम स्तर पर नियुक्त जलसहिया एन.बी.ए. क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सेदार (Stake holder) हैं। जल सहिया एन.बी.ए. कार्यक्रम के पैदल सैनिक हैं जिन्हें उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित कार्य आधारित मानदेय राशि दिया जायेगा। जलसहिया ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की कोषाध्यक्ष होंगी।

---

5. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति में 12 सदस्य होते हैं जिसमें से 50% महिला प्रतिनिधि होती है। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप गाँव से ही एक महिला का चयन जलसहिया के रूप में किया जाता है। मुखिया ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष और जलसहिया इसकी कोषाध्यक्ष होती है। प्रखंड पंचायत के एक सदस्य (महिला को प्राथमिकता) ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति की उपाध्यक्ष होती है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के बैंक खाता के हस्ताक्षरी होते हैं और इन तीनों में से किन्हीं दो हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से राशि की निकासी की जाती है।

3.7 निर्मल भारत अभियान हेतु निधि प्रवाह :

एन.बी.ए. निधियाँ (भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की) जिला जल एवं स्वच्छता समिति के बैंक खाते में निर्गत की जाती है। डी.डब्ल्यू.एस.सी.का बैंक खाता इस कमिटी के अध्यक्ष (उपायुक्त) और सदस्य सचिव (कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जायेगी। सभी चेकबुक/रोकड़बही और खाता का प्रबंधन कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव के द्वारा किया जायेगा। रुपये 10,00,000 तक की कार्यक्रम निधि की निकासी कार्यपालक अभियंता सह सदस्य सचिव द्वारा अपने एकल हस्ताक्षर से की जा सकेगी। इसके लिए किसी अन्य स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। रुपये 10,00,000 से रुपये 25,00,000 तक की राशि की निकासी हेतु अधीक्षण अभियंता के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। रुपये 25,00,000 से अधिक की राशि की निकासी हेतु उपायुक्त/अध्यक्ष और सदस्य सचिव के अनुमोदन/ संयुक्त हस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार ग्राम स्तर पर वी.डब्ल्यू.एस.सी. के नाम से एक अलग बैंक खाता खोला जायेगा। वी.डब्ल्यू.एस.सी. का बैंक खाता इसके अध्यक्ष (मुखिया), उपाध्यक्ष और जलसहिया के द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जायेगा। सभी चेक बुक/रोकड़बही और खातों का प्रबंधन जलसहिया द्वारा किया जायेगा। निधि की निकासी तीन खाताधारियों में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से की जा सकेगी।

3.8 भुगतान की विधि :

भुगतान या तो डी.डब्ल्यू.एस.सी. अथवा वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा किया जायेगा। एन.बी.ए. की कार्ययोजना अथवा वार्षिक क्रियान्वयन योजना (ए.आई.पी.) उन विभिन्न स्तरों को निर्दिष्ट करेंगी जिनपर गतिविधियाँ क्रियान्वित की जायेंगी। इसी प्रकार ग्राम स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों का भुगतान वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा किया जायेगा। शेष गतिविधियाँ, जो जिला या प्रखंड स्तर पर संचालित की जायेंगी अथवा डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा नियंत्रित की जायेंगी, उनका भुगतान डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा किया जायेगा।

3.9 वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा निधि प्रबंधन :

वी.डब्ल्यू.एस.सी. ग्राम स्तर पर विशिष्ट गतिविधियों के क्रियान्वयन में उपयोग हेतु निधि प्राप्त करने के आग्रह के लिए प्रस्ताव का विकास करेगी। प्रस्ताव तैयार करने में बी.आर.सी. मदद करेगी। अग्रिम राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव डी.डब्ल्यू.एस.सी. को अग्रसारित किए जायेंगे। डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा वी.डब्ल्यू.एस.सी. को 50% अग्रिम राशि निर्गत कर दी जायेगी। प्राप्त निधियों के 60% उपयोग के बाद वी.डब्ल्यू.एस.सी. पुन: निधि प्राप्त करने हेतु एक नवीन प्रस्ताव तैयार कर डी.डब्ल्यू.एस.सी. से अधियाचना करेगी। अधियाचना के उपरान्त शेष राशि डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा वी.डब्ल्यू.एस.सी. को हस्तान्तरित की जायेगी। बी.आर.सी. इन संपूर्ण प्रक्रियाओं यथा निधि की प्राप्ति, खाता प्रबंधन और उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने में वी.डब्ल्यू.एस.सी. की सहायता करेगी।

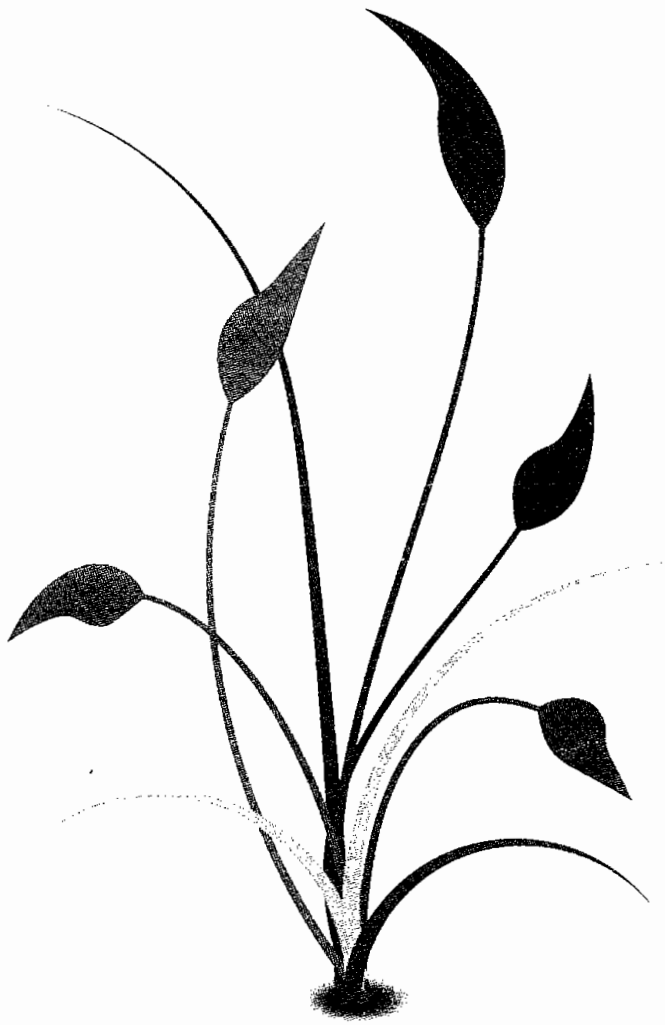

खंड-3 : संचालानात्मक मार्गदर्शिका

कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

4.1 चूँकि निर्मल भारत अभियान का प्राथमिक लक्ष्य संपूर्ण स्वच्छता की प्राप्ति है अर्थात् सभी घरों में पर्याप्त स्वच्छकर शौचालय हों और शौचालय स्थायी रूप से उपयोग में आ रहे हों, अत: सभी कार्यक्रम गतिविधियाँ इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निर्देशित की गई हैं। प्रत्येक की जाने वाली गतिविधि यथा संचार, प्रशिक्षण, समीक्षा इत्यादि के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन उनके द्वारा पूर्ण रूप से स्वच्छकर ग्राम की स्थापना में योगदान, जिनमें शौचालय का व्यवहार स्थायी रूप से हो रहा हो, के आधार पर किया जायेगा।

4.1.1 रणनीतिक अभिनवता

राज्य सरकार द्वारा खुले में शौच से मुक्त ग्राम (ओ.डी.एफ. ग्राम) की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे ग्राम आते हैं जिनके सभी घरों में पक्का स्वच्छकर शौचालय तकनीकी मानकों के अनुरूप (जिनमें जलबन्द हो तथा जंक्शन बॉक्स लीच पीट से जुड़ा हो) बना हो तथा परिवार के सदस्य नियमित रूप से शौचालय उपयोग में ला रहे हों। गाँव में

जमीनी स्तर पर कार्यक्रम क्रियान्वयनः खुले में शौच से मुक्त गाँवों की स्थापना हेतु एक रणनीति

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति पूरे ग्रामीण समुदाय से सहमति प्राप्त करेगी अर्थात् गाँव के सभी घर खुले में शौच करना बंद करेंगे। स्पष्टतया, सभी घरों को स्वच्छकर शौचालय अपनाने पर सहमत होना पड़ेगा। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति इच्छुक घरों की (गाँव के सभी घरों को) अपने प्रयास से शौचालय निर्माण हेतु सहायता करेगी। स्वच्छकर शौचालय का निर्माण तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप किया जायेगा। अतः निर्मित शौचालयों में एक जलबंद के साथ एक ग्रामीण पैन, एक उचित जंक्शन बॉक्स और एक लीच पीट जिसके साथ एक दूसरा लीच पीट निर्मित करने का भी प्रावधान होगा) रहेंगे। शौचालय का ऊपरी ढ़ाँचा लाभुक घरों के इच्छानुसार बनाया जा सकता है परन्तु आधारीय ढाँचा निर्दिष्ट तकनीकी निर्देशों के अनुसार ही बनाया जायेगा। प्रशिक्षित राजमिस्त्री शौचालय निर्माण के लिए लगाए जायेंगे। एक बार यदि पूरा गाँव घरेलू शौचालय अपना ले और उनका 100% उपयोग भी सुनिश्चित कर ले, उसके बाद ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति एन.बी.ए. निधि से उस गाँव हेतु राशि प्राप्ति का दावा करने योग्य हो जायेगी।

ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति कार्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु परिक्रामी निधि (Revolving Fund) से ऋण प्राप्त कर सकेगी। अंत में ओ.डी.एफ. अवस्था की प्राप्ति पर और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को एन.बी.ए. प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति के बाद ऋण की राशि जिला जल एवं स्वच्छता समिति को वापस कर दी जायेगी।

और गाँव के चारों ओर किसी भी समय खुले में शौच न किया जा रहा हो। कच्चे शौचालयों का निर्माण ओ.डी.एफ. अवस्था की प्राप्ति हेतु स्वीकार नहीं किया जायेगा।

निर्मल भारत अभियान के प्रावधानों का क्रियान्वयन ओ.डी.एफ. गाँवों की प्राप्ति हेतु किया जायेगा। यद्यपि, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे घर, जिनमें स्वच्छकर शौचालय नहीं है और जो एन.बी.ए. के प्रावधानों के तहत प्रोत्साहन राशि के दायरे में आने वाले वर्गों के अंतर्गत आने के बावजूद प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु अर्हता भी नहीं रखते हैं; इसके पीछे तथ्य यह है कि इन घरों में पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के दौरान प्रोत्साहन राशि दी गई थी और उस दौरान बने शौचालय वर्तमान में उपयोग में नहीं है।

साथ ही क्षेत्र के अनुभव यह इंगित करते हैं कि प्रोत्साहन राशि का प्रावधान शौचालय अपनाने हेतु मुख्य आकर्षण रहा है जिससे ओ.डी.एफ. ग्राम की स्थापना का व्यापक लक्ष्य पीछे छूट गया है। इसके परिणामस्वरूप अस्थायित्वता आई है।

4.1.2 उपरोक्त पहलूओं को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रकार से भी क्रियान्वयन योजना का सूत्रण किया जा सकता है :

1. सर्वप्रथम, संपूर्ण अभियान सभी ग्रामीण घरों में शौचालय बनाने के अभियान को अपारणीय (non-negotiable) विशिष्टता के रूप में लक्षित करेगी; यह स्पष्ट किया जायेगा कि व्यक्तिगत घरों द्वारा शौचालयों का निर्माण कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा नहीं करता है। प्रत्येक ग्रामीण घर एक दूसरे के साथ मिलकर ''गाँव के सभी घरों के लिए शौचालय'' और खुले में शौच को बंद करने पर वचनबद्ध होंगे।

2. कार्यक्रम का लक्ष्य सभी घरों में पक्का मजबूत शौचालय उपलब्ध कराना है। सभी शौचालयों में जलबंद, लीच पीट से जुड़ा हुआ Y जंक्शन और एक पक्का ऊपरी ढाँचा जरूर होना चाहिए।

3. प्रारंभ में वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा गाँव के सभी घरों को शामिल कर एक बैठक की जायेगी और सभी घरों हेतु शौचालय निर्माण की लागत का आकलन किया जायेगा। शौचालय इकाई की लागत

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा सुझाए गए शौचालय मॉडल और संबंधित तकनीकी विशिष्टताओं के अनुरूप होगी।

4. वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.सी. को गाँव के कुल घरों में शौचालय लागत की 50% राशि हेतु ऋण का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा, शेष राशि लाभुक घरों से एकत्रित की जायेगी। डी.डब्ल्यू.एस.सी. निर्मल भारत अभियान के प्रावधानों के तहत उपलब्ध परिक्रामी निधि (Revolving Fund) से ऋण उपलब्ध करायेगी।

5. शौचालय निर्माण की प्रक्रिया कुल प्रोजेक्ट लागत की राशि सृजित करने के उपरांत प्रारंभ की जायेगी।

6. शौचालय निर्माण पूर्ण होने के पश्चात और गाँव के सभी घरों में शौचालय उपयोग होने के बाद गाँव को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जायेगा और यह सत्यापन मुखिया द्वारा किया जायेगा।

7. इसके पश्चात वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा गाँव में अर्हता रखने वाले घरों हेतु एन.बी.ए. प्रोत्साहन राशि का दावा किया जायेगा।

8. एन.बी.ए. प्रोत्साहन राशि की प्राप्ति के बाद वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा ऋण की राशि डी.डब्ल्यू.एस.सी. को वापस लौटा दी जायेगी। यदि ऋण की राशि एन.बी.ए. प्रोत्साहन राशि से कम हो तो शेष रकम वी.डब्ल्यू.एस.सी. के खाते में जमा की जायेगी।

9. यदि ऋण की राशि प्रोत्साहन राशि की तुलना में अधिक हो तो शेष राशि वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा डी.डब्ल्यू.एस.सी. को 18 महीनों के किस्त के रूप में लौटाई जायेगी।

10. प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण एवं उपयोग कराना सुनिश्चित करने हेतु 75 रुपये की प्रोत्साहन राशि जलसहिया को दी जायेगी।

11. वी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा प्रस्तुत बजट राशि के 1% की राशि वी.डब्ल्यू.एस.सी. को प्रशासनिक कार्यों हेतु दी जायेगी।

प्रखंड स्तर पर नियुक्त बी.आर.सी., ओ.डी.एफ. ग्रामों की स्थापना हेतु योजना क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। बी.आर.सी. मार्गदर्शिका के मापदंड के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड समन्वयक और कुछ संकुल समन्वयक होंगे। ये संस्थाएँ पंचायतों के साथ मिलकर काम करने और उन्हें योजना निर्माण और क्रियान्वयन में सहायता करेंगी। एक बार ओ.डी.एफ. की अवस्था प्राप्त होने के बाद बी.आर.सी. ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ स्थायित्व की सुनिश्चितता हेतु जुड़ी रहेंगी। उपरोक्त वर्णित कार्यक्रम रणनीति उन सिद्धान्तों की ओर इंगित करती है जिनका सामुदायिक स्वामित्व, समावेशी उपलब्धि और स्थायित्वता की प्राप्ति हेतु अनुसरण करना है। स्थानीय और विशिष्ट स्थितियों के संदर्भ में मुख्य सिद्धान्तों से समझौता किये बिना क्रियान्वयन के चरण पुनरीक्षित किए जा सकते हैं।

उपरोक्त वर्णित संपूर्ण प्रक्रिया के क्रियान्वयन में प्रखंड संसाधन केन्द्र (बी.आर.सी.) द्वारा सहायता की जायेगी। प्रखंड संसाधन केन्द्र रणनीति क्रियान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। वे वी.डब्ल्यू.एस.सी. की बहुस्तरीय बैठकों के आयोजन में सहयोग करेंगे जिनमें गाँव के सभी घरों की सहभागिता सुनिश्चित रहेगी, साथ ही वी.डब्ल्यू.एस.सी. को एन.बी.ए. मार्गदर्शिका से संबंधित सूचनाएँ देकर उसका सशक्तिकरण और ओ.डी.एफ. रणनीति के संदेश को समुदाय तक प्रभावी रूप से पहुँचाने में सहयोग करेंगे। बी.आर.सी., ओ.डी.एफ. रणनीति पर आवश्यक जनजागरूकता उत्पन्न करने और शौचालय निर्माण पर आवश्यक तकनीकी सहयोग देने में भी सहयोग करेंगे। बी.आर.सी. अपने कार्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत आने वाले ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों में निर्माण की कच्ची सामग्री के आपूर्तिकर्ताओं और राजमिस्त्रियों की सूची तैयार कर सूची का वितरण करेगी। बी.आर.सी., ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा एन.बी.ए. राशि (परिक्रामी निधि) के उपयोग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी जिससे कि इस राशि का समुचित उपयोग ओ.डी.एफ. ग्रामों की प्राप्ति में किया जा सके। बी.आर.सी. का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा

कि वे ओ.डी.एफ. स्थिति की स्थायित्वता हेतु समुदाय के साथ जुड़ी रहेंगी; दूसरे शब्दों में बी.आर.सी., ओ.डी.एफ. स्थिति की प्राप्ति के कम से कम एक वर्ष तक गाँव में प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित रहेगी।

घरेलू शौचालयों के अतिरिक्त, यदि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति चाहे तो गाँव की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण किया जा सकता है। सामुदायिक शौचालय का बजट 2,00,000 रुपये होगा। जलापूर्ति की व्यवस्था एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. से की जा सकेगी। इसके साथ यह भी आवश्यक होगा कि ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु योजना बनाएँ और इस हेतु प्रस्ताव जिला जल एवं स्वच्छता समिति को समर्पित करें। बी.आर.सी., ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को ऐसे प्रस्ताव निर्माण में सहयोग करेगी। पुन: इसके साथ बी.आर.सी. गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अवयवों के क्रियान्वयन में वी.डब्ल्यू.एस.सी. को सहयोग देगी।

कार्यक्रम क्रियान्वयन के सिद्धान्त

निर्मल भारत अभियान के क्रियान्वयन की रणनीति संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के अनुभवों से प्राप्त सीखं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। टी.एस.सी. अभियान में स्थायित्वता की कमी (जिसके कारण बड़ी संख्या में स्लीप बैक की स्थिति उत्पन्न हुई) को एक चिन्तनीय विषय के रूप में देखा गया है। अत: एन.बी.ए. उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य करने पर जोर देती है, जिनके द्वारा स्थायित्वता सुनिश्चित हो।

अत: यह अनिवार्य है कि समुदाय खुले में शौच से मुक्त गाँवों की स्थापना में प्रभावी रूप से शामिल रहे और साथ ही संपूर्ण समुदाय के द्वारा सामूहिक मांग सृजन प्रभावी रूप से उत्पन्न हो। इसके पश्चात स्थायी और मजबूत स्वच्छकर शौचालय स्थापित किए जायेंगे। इन सेवाओं की व्यवस्था के साथ ऐसी आशा की जाती है कि सेवा प्रदाता (बी.आर.सी. और स्वयं सेवी संगठन) समुदाय के साथ जुड़े रहेंगे ताकि सुविधाओं का नियमित उपयोग सुनिश्चित हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति एन.बी.ए. कार्यक्रम क्रियान्वयन का मुख्य लक्ष्य है। किसी गाँव की ओ.डी.एफ. अवस्था की सफलता के बाद एन.बी.ए. के दूसरे अवयवों को भी सार्थक रूप से क्रियान्वित किया जा सकता है।

निर्मल भारत अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण समझी गई है। गाँव की महिलाओं को लामबंद करने हेतु ग्राम स्तर पर नियुक्त जलसहिया महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगी। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) जमीनी स्तर पर महत्वपूर्ण संस्थाएँ होंगी जो जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेंगी। अत: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने हेतु स्वयं सहायता समूहों को जोड़ा जायेगा।

निर्मल भारत अभियान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अंतत: पंचायत जमीनी स्तर पर कार्यकारी संस्था होगी। अत: यह अत्यंत ही आवश्यक है कि कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पंचायत की लामबंदी और उन्मुखीकरण हो। इस परिप्रेक्ष्य में पंचायतों की संवैधानिक स्थिति के संदर्भ में पंचायत की भूमिका और उत्तरदायित्व को प्रभावी रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य संचारित करने और उन पर संवाद करने की आवश्यकता है। एक ओर जहाँ पंचायतों की क्षमता को सशक्त करने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर नियमित संवाद स्थापित करते हुए जमीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व के सापेक्षिक महत्व और इससे जुड़ी उत्तरदायित्वता को भी प्रसारित करने की आवश्यकता है।

4.1.3 मनरेगा के साथ अभिषरण

मनरेगा से अभिषरण हेतु प्रत्येक राजस्व ग्राम के शौचालय निर्माण (IHHL) से संबंधित आँकड़ों का उपयोग कर ग्राम पंचायत स्तर पर शौचालय निर्माण के लिए आवश्यक श्रम अवयव को समाहित कर प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे। ग्रामसभा से पारित होने के उपरांत मनरेगा से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला प्रशासन को समर्पित किए जायेंगे। मनरेगा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने और ग्राम पंचायतों में मनरेगा निधि के हस्तांतरण के समय सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचना दी जायेगी। डी.डब्ल्यू.एस.सी. द्वारा बी.आर.सी. को सूचना दी जायेगी जिससे कि बी.आर.सी. शौचालय निर्माण में लगे मजदूरों की मजदूरी के भुगतान का समन्वयन कर सके। बी.आर.सी. को ओ.डी.एफ. अवस्था प्राप्त कर चुके प्रत्येक संबंधित राजस्व ग्राम के मजदूरों की मजदूरी भुगतान का समन्वयन करना होगा।

मनरेगा निधि का उपयोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना, विद्यालय और आँगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण में भी किया जायेगा।

लैंगिक परिप्रेक्ष्य

झारखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 55% महिलाएँ हैं। राज्य में महिलाओं की समुन्नत सामाजिक स्थिति, विशेषकर जनजातीय आबादी में, पूरी तौर पर स्पष्ट है। विशेष तौर पर जनजातीय समुदाय में बालिकाओं/महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव नहीं पाया जाता है। निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम लैंगिक समानता की इस मजबूत बुनियाद पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम क्रियान्वयन और नेतृत्व पर महिलाओं की अधिक भूमिका सृजित करने का लक्ष्य रखती है। अतः शौचालय निर्माण हेतु महिलाओं की राजमिस्त्री के रूप में एवं सामूहिक लामबंदी तथा ग्रामीण घरों के भ्रमण हेतु उत्प्रेरकों के रूप में भूमिका बढ़ाने के साथ–साथ स्थानीय मंचों पर भी महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने पर विशेष प्रयास किए जायेंगे। जमीनी स्तर पर जलसहिया की उपस्थिति ने महिलाओं की भूमिका पर पहले से ही एक मजबूत संदेश स्थापित किया है। अतः जलसहिया को नियमित रूप से शिक्षित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि वह स्वच्छता के एजेंडे, विशेषकर स्त्रियों और लड़कियों की सुरक्षा और सम्मान के एजेंडे को परिपुष्ट कर सके।

4.2 संवाद रणनीति

यह रणनीति सभी स्तरों पर परामर्श प्रक्रिया के आधार पर तैयार की जायेगी। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि सामुदायिक लामबंदी हेतु संवाद रणनीति का सूत्रण करने के समय स्थानीय (जनजातीय) संस्कृति को केन्द्र में रखा जाय।

चूँकि ओ.डी.एफ. गाँवों की स्थापना स्वच्छता नीति का घोषित उद्देश्य है, अत: संवाद रणनीति ओ.डी.एफ. ग्राम कार्य योजना की विशेषताओं को लक्षित करेगी। ओ.डी.एफ. ग्राम कार्ययोजना की मुख्य विशेषता ओ.डी.एफ. अवस्था प्राप्ति पर सामुदायिक सहमति का विकास करना होगा। इसमें यह भी आशा की जाती है कि प्रत्येक ग्रामीण घर को वित्तीय अंशदान करना पड़ेगा जिससे कि गाँव के प्रत्येक घर में स्वच्छकर शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

साथ ही रणनीति केवल जागरूकता सृजन पर ही जोर नहीं देगी वरन उन मुद्दों को भी संबोधित करेगी जो स्थायित्वता की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि ऊपर इंगित किया गया है, कार्यक्रम के अंतर्गत एक निर्माण पश्चात फेज रखी गई है जिसके तहत संवाद योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा जो स्थायित्व स्थापित करने के मुद्दों पर केन्द्रित होगी।

संचार के उद्देश्यों के आधार पर राज्य और जिला स्तरीय संवाद योजनाएँ तैयार की जाएँगी जिसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली गतिविधियाँ और उनके संगत लागत शामिल किए जायेंगे। संवाद योजना के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्ति चिन्हित किए जायेंगे और विषयवस्तु पर उनका उन्मुखीकरण किया जायेगा। एन.बी.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध बजट के अनुसार संवाद योजना का बजट तैयार किया जायेगा। जैसा कि राष्ट्रीय मार्गदिर्शका में निदेशित है, संवाद रणनीति अंतर्वैयक्तिक संवाद और ग्राम स्तर पर की जानेवाली गतिविधियों (व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्तर) पर जोर देगी। इस प्रकार आई.ई.सी. बजट का लगभग 60% व्यय ग्राम स्तरीय गतिविधियों हेतु कर्णांकित किया जायेगा।

संवाद रणनीति निम्नलिखित 4 मुख्य व्यवहारों पर केंद्रित होगी –

1. सभी समय शौचालय का ही उपयोग और खुले में शौच का उन्मूलन
2. शिशुओं/बच्चों के मल का सुरक्षित निपटान
3. महत्वपूर्ण समयों पर साबुन से हाथ धुलाई उदाहरणत: खाने के पहले और शौच के बाद तथा बच्चों की मल सफाई के बाद
4. पेयजल का सुरक्षित भंडारण और उपयोग।

4.3 प्रशिक्षण और क्षमता संवर्द्धन

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखण्ड द्वारा एक प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम करने के पहले संरचनात्मक सुधारों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। प्रथमत: संस्थाओं को कार्य करने हेतु एक कार्यकारी पर्यावरण सृजित किया जायेगा। उसके बाद सभी हिस्सेदारों को निर्धारित कार्यों को करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम एक प्रशिक्षण योजना और वर्ष की शुरुआत में तैयार किए गए ट्रेनिंग कैलेण्डर के आधार पर संचालित किये जायेंगे।

प्रत्येक तकनीकी कार्यक्रम में एक संरचनात्मक मॉड्यूल होगा जिसमें तकनीकी सूचनायें होंगी। प्रतिभागियों के स्तर को ध्यान में रखकर मॉड्यूल तैयार किए जायेंगे। क्षमता संवर्द्धन पहल के नियमित अनुश्रवण हेतु एक प्रणाली रखी गई है उदाहरणतः किस प्रकार प्रतिभागी अपने दैनिक कार्यों में दिए गए प्रशिक्षण का क्रियान्वयन कर रहे हैं। अनुश्रवण के प्रतिवेदनों के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल अद्यतन किए जायेंगे।

यहाँ यह कहा जाना चाहिए कि प्रशिक्षण को केवल ''एक बार होने वाली गतिविधि'' के रूप में न लिया जाय। यदि किसी समय कार्यक्रम में विशिष्ट योगदान देने हेतु हिस्सेदारों के एक विशेष वर्ग की पहचान कर ली जाती है तब उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा और साथ ही उन्हें क्षेत्र में कार्य करने हेतु आवश्यक सहयोग भी दिये जायेंगे। एक निश्चित समय के बाद प्रशिक्षण के प्रभाव का मापन भी आवश्यक है। दिए गए प्रशिक्षण के संदर्भ में कार्यक्रम के मूल्यांकन से यह जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार प्रशिक्षण मॉड्यूल और हस्तांतरण की विधियों में सुधार किया जाय ताकि संपूर्ण प्रक्रिया प्रभावी बन सके।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का राँची में एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण अवसंरचना है जो राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग की जाती है। इस सुविधा को और भी सशक्त किया जा रहा है ताकि एन.बी.ए. और एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. कार्यक्रमों के लिए उत्पन्न क्षमता संवर्द्धन माँग की पूर्ति की जा सके।

क्षमता संवर्द्धन हेतु एक Cascade Method डिजाईन किया गया है। इस प्रकार कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं (उदाहरणत: विशिष्ट विषयों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, अथवा रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण)। पुन: जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाओं का प्रशिक्षण जिला/प्रखंड स्तर पर किया जाता है।

4.4 अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिषरण

स्पष्टतया निर्मल भारत अभियान के सफलतापूर्वक कियान्वयन के लिए अंतर्विभागीय अभिषरण की आवश्यकता होगी। अभिषरण हेतु कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं (1) शिक्षा (2) समाज कल्याण (3) पंचायत और ग्रामीण विकास (4) स्वास्थ्य।

शिक्षा और समाज कल्याण विभाग के साथ अभिषरण विद्यालयों और आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्वच्छता सुविधा प्रदान करने हेतु आवश्यक है। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि ये सुविधायें इन संस्थाओं द्वारा स्थायी तौर पर अपनाए और उपयोग किये जायें। अत: शिक्षा और समाज कल्याण संस्थाओं में स्वच्छता की प्राथमिकता की हिमायत करना आवश्यक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधियों को इस योग्य होना चाहिए कि वे शिक्षा और समाज कल्याण विभाग की अनुश्रवण/समीक्षात्मक बैठकों में शामिल हों जिससे कि इन विभागों में नियमित रूप से स्वच्छता के विषय पर चर्चा और समीक्षा हो सके।

पंचायती और ग्रामीण विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के साथ अभिषरण आवश्यक है ताकि एन.बी.ए. कार्यक्रम क्रियान्वयन में जिला प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ-साथ आशा का भी सहयोग प्राप्त हो सके। ऐसे अभिषरण समानांतर रूप से राज्य, जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर किये जायेंगे।

4.5 कार्यक्रम अनुश्रवण

अनुश्रवण दो स्तरों पर किया जायेगा। प्रथमत: आंतरिक समीक्षा प्रणाली द्वारा, जिसके अंतर्गत कार्यक्रम की समीक्षा प्रखण्ड स्तर पर (प्रत्येक महीने की 3 तारीख को) और जिला स्तर पर (प्रत्येक महीने की 7 तारीख

को) की जायेगी। राज्य स्तर पर महीने की 10 तारीख को समीक्षा होगी जिसमें अधीक्षण अभियंता, जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव एवं जिला समन्वयक जिलों में चल रही गतिविधियों की जानकारी की पूरी तैयारी के साथ आयेंगे।

उपरोक्त समीक्षा के साथ–साथ एक तीसरे पक्ष द्वारा भी समवर्ती अनुश्रवण प्रत्येक तिमाही की जायेगी। तीसरे पक्ष की समीक्षा राज्य संसाधन केन्द्र द्वारा की जायेगी। राज्य संसाधन केन्द्र से प्राप्त प्रतिक्रिया का जिलों से प्राप्त प्रतिवेदनों से मिलान किया जायेगा। उपरोक्त क्रियाकलापों के साथ तीसरे पक्ष द्वारा कम से कम प्रत्येक वर्ष पर एक छोटा नमूना सर्वेक्षण तथा कम से कम दो वर्ष पर एक बड़ा नमूना सर्वेक्षण किया जायेगा।

5.0 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विशेष पहल

5.1 स्वयं सेवी संगठनों के साथ भागीदारी

राज्य में व्यापक रूप से जमीनी स्तर पर स्वयं सेवी संगठन कार्यरत हैं। साथ ही वे मातृ स्वयं सेवी संगठन के रूप में छोटे स्वयं सेवी संगठनों का जाल बनाकर एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। मातृ स्वयं सेवी संगठन छोटे स्थानीय स्वयं सेवी संगठनों के लिए क्षमता संवर्द्धन के साथ–साथ उन्हें सामाजिक प्रतिबद्धताओं और पेशेवर तौर तरीकों के साथ कार्य करने को भी उत्प्रेरित करती हैं। इन स्वयं सेवी संगठनों की सबसे महतवपूर्ण विशेषता यह है कि जिन समुदायों के साथ वे कार्य करती हैं उनके साथ उनका नियमित और घनिष्ठ संबंध है। उनमें से कई जल और स्वच्छता कार्यक्रमों के तकनीकी अवयवों की अच्छी समझ रखने एवं उनके क्रियान्वयन में सक्षम हैं। अत: इन स्वयं सेवी संगठनों के साथ भागीदारी स्थापित करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे स्वयं सेवी संगठनों की पहचान कर एक रोस्टर विकसित की जायेगी और वर्तमान में क्रियान्वित एन.बी.ए. कार्यक्रमों के अनुरूप उनके योगदान के लिए विशिष्ट भूमिकाओं को परिभाषित किया जायेगा। राज्य प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट के कार्यकारी निदेशक के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण समन्वयक द्वारा रोस्टर का प्रबंधन किया जायेगा।

ये स्वयं सेवी संगठन क्षमता संवर्द्धन, संचार और कार्यक्रम क्रियान्वयन में भी सहयोग करेंगे। चयनित स्वयं सेवी संगठनों के साथ सहयोग की सच्ची भावना के साथ सार्थक और गतिशील अंतर्संम्वाद वर्तमान समय की आवश्यकता है।

5.2 स्वयं सहायता समूहों के साथ भागीदारी

पुन: स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच विश्वास बहाली से प्राप्त होने वाले लाभों को निर्मल भारत अभियान क्रियान्वयन हेतु पहचानने एवं उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। विशेषत: स्वयं सहायता समूह ग्राम स्तर पर महत्वपूर्ण निकाय है और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। ये स्वयं सहायता समूह सामुदायिक प्रक्रियाओं से लंबे जुड़ाव के कारण सामुदायिक लामबंदी हेतु अत्यंत ही सक्षम संस्था है। इस कारण वे सामाजिक जनतंत्र की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर कर आए हैं जो ग्रामीण अवसंरचनाओं के निर्माण और सहभागी विकास में पंचायतों को अपना योगदान दे रही हैं। साथ ही वे ग्रामीण स्तर पर प्रहरी का भी कार्य करती हैं। वे समुदाय द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में कमियों को चिन्हित कर सकती हैं अथवा परिसंपति निर्माण में सहयोगी पर्यवेक्षण दे सकती हैं या सामाजिक लाभों के वितरण में सहयोग कर सकती हैं। अत: ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा स्वयं सहायता समूह दोनों का इस पहलू पर उन्मुखीकरण आवश्यक है।

5.3 परिक्रामी निधि

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योग्य हिस्सेदारों (Stake holder) द्वारा परिक्रामी निधि (Revolving fund) से प्राप्त सहयोग का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रथमत:, स्थानीय उद्यमियों अथवा व्यवसायिओं के साथ आपूर्ति कड़ी प्रणाली को सशक्त करने हेतु कार्य किये जायेंगे।

द्वितीयत:, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को परिक्रामी निधि (Revolving fund) उपलब्ध कराये जायेंगे यदि उनके द्वारा गाँव में शौचालय निर्माण की प्रक्रिया के प्रबंधन का निर्णय लिया जाता है। इस स्थिति में स्थानीय उद्यमी आपूर्ति कड़ी प्रणाली के भाग बनकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को निर्माण सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

तृतीयत:, साख धारण करने वाले स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों हेतु शौचालय निर्माण के लिए परिक्रामी निधि (Revolving fund) से ऋण हेतु आवेदन कर सकते हैं। राज्य में लगभग 2,00,000 स्वयं सहायता समूह सदस्य हैं। अत: स्वयं सहायता समूह सदस्यों द्वारा परिक्रामी निधि (Revolving fund) के उपयोग से शौचालय का निर्माण एक सुनहरा अवसर होगा। ऋण 12 से 18 किस्तों में भुगतान किये जायेंगे।

5.4 निगमित सामाजिक दायित्व

झारखण्ड एक साधन संपन्न राज्य है और कई बड़े व्यावसायिक घरानों की कार्यस्थली है। राष्ट्रीय मार्गदर्शिका के निदेशानुसार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग व्यवसायिक घरानों के साथ संबंध स्थापित करेगी एवं स्वच्छता तथा जलापूर्ति क्षेत्र में व्यावसायिक घरानों के योगदान हेतु संभावनाओं की तलाश करेगी।

महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दू

- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने दोनों कार्यक्रमों, निर्मल भारत अभियान और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा है। राजस्व ग्राम स्तर पर स्थापित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति इन राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मुख्य कार्यकारी निकाय है। प्रशासनिक वरीयता के क्षैतिज क्रम में सूत्रित संपूर्ण आपूर्ति प्रणाली, जिसके तहत राज्य स्तर पर स्थापित जल एवं स्वच्छता सहयोगी संगठन (WSSO)/राज्य प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट (SPMU) से लेकर प्रखंड स्तर पर स्थापित प्रखंड संसाधन केंद्र (BRC) का रूपांकन कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु पंचायतों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सशक्त करने के लिए किया गया है। 32 वर्षों के अंतराल उपरांत झारखंड में पंचायतों के चुनाव हुए हैं। अत: उन्हें कार्यक्रम के केन्द्रीय मुद्दों और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को आत्मसात करने हेतु सहयोग की आवश्यकता है।
- पंचायती राज प्रणाली के अतिरिक्त कार्यक्रम विभिन्न जनजातीय समूहों के पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं, जिनका समुदाय में व्यापक प्रभाव है, के साथ भी मिलकर कार्य करेगी। इसके साथ ही राज्य का जनसांख्यिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत राज्य में 27% जनजातीय आबादी है तथा भौगोलिक परिदृश्य, जिसके अंतर्गत राज्य का 29% क्षेत्रफल वनाच्छादित है, इत्यादि कारकों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। झारखण्ड में उतार चढ़ाव वाले पहाड़ी क्षेत्रों और वनाच्छादित क्षेत्रों के कारण कई ऐसे स्थल हैं जहाँ सरलता से आवागमन संभव नहीं है और ऐसे स्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़ी जनसंख्या समूह भी निवास करती है। अत: इन्हें भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
- जिला स्तर पर वार्षिक क्रियान्वयन योजना (एआईपी) संचार और प्रशिक्षण रणनीतियों को ध्यान में रखकर तैयार की जायेगी जिसका लक्ष्य संचार और प्रशिक्षण गतिविधियों का समवर्ती अनुश्रवण,

इन क्रियाकलापों की प्रभाविता का मापन और क्रियान्वयन प्रक्रियाओं को और भी सशक्त करने हेतु सहयोग देना होगा।

- अंतत: कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल एवं स्वच्छता परिसंपतियों की स्थायित्वता सुनिश्चित करना होगा। इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखा गया है। प्रथमत: व्यापक सामुदायिक सहभागिता द्वारा घरेलू अथवा सामुदायिक स्तर पर परिसंपत्ति सृजन की प्रक्रिया की जायेगी। द्वितीयत: जैसे ही कार्यक्रम के तात्कालिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाते हैं, उसके पश्चात् समुदाय के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता को कार्यक्रम स्थायित्वता के मुख्य कारक के रूप में लिया जायेगा।

झारखण्ड में जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम की प्रस्तावित सांगठनिक संरचना

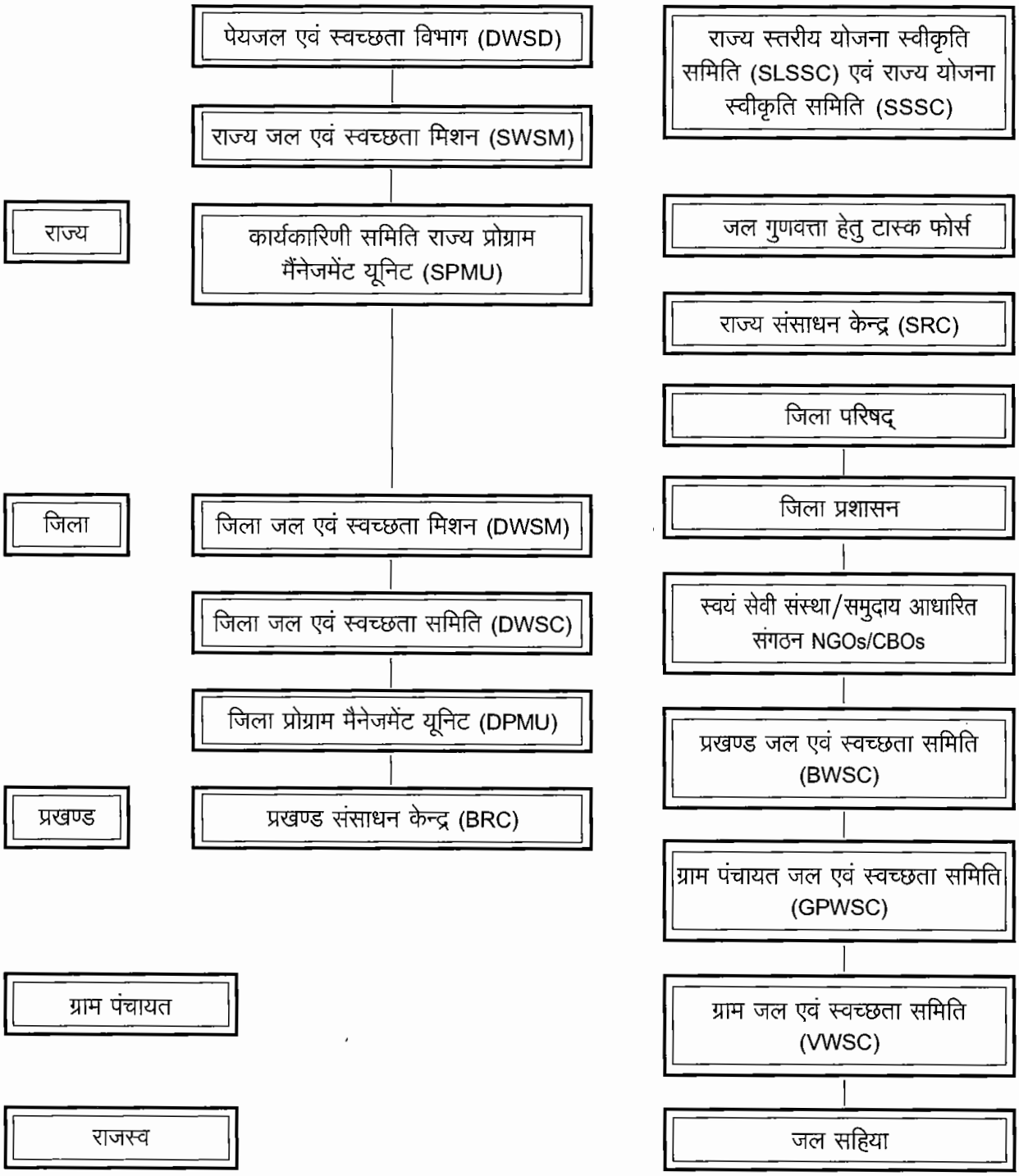

झारखण्ड राज्य में राज्य प्रोग्राम मैनेजमेन्ट यूनिट का सांगठनिक संरचना

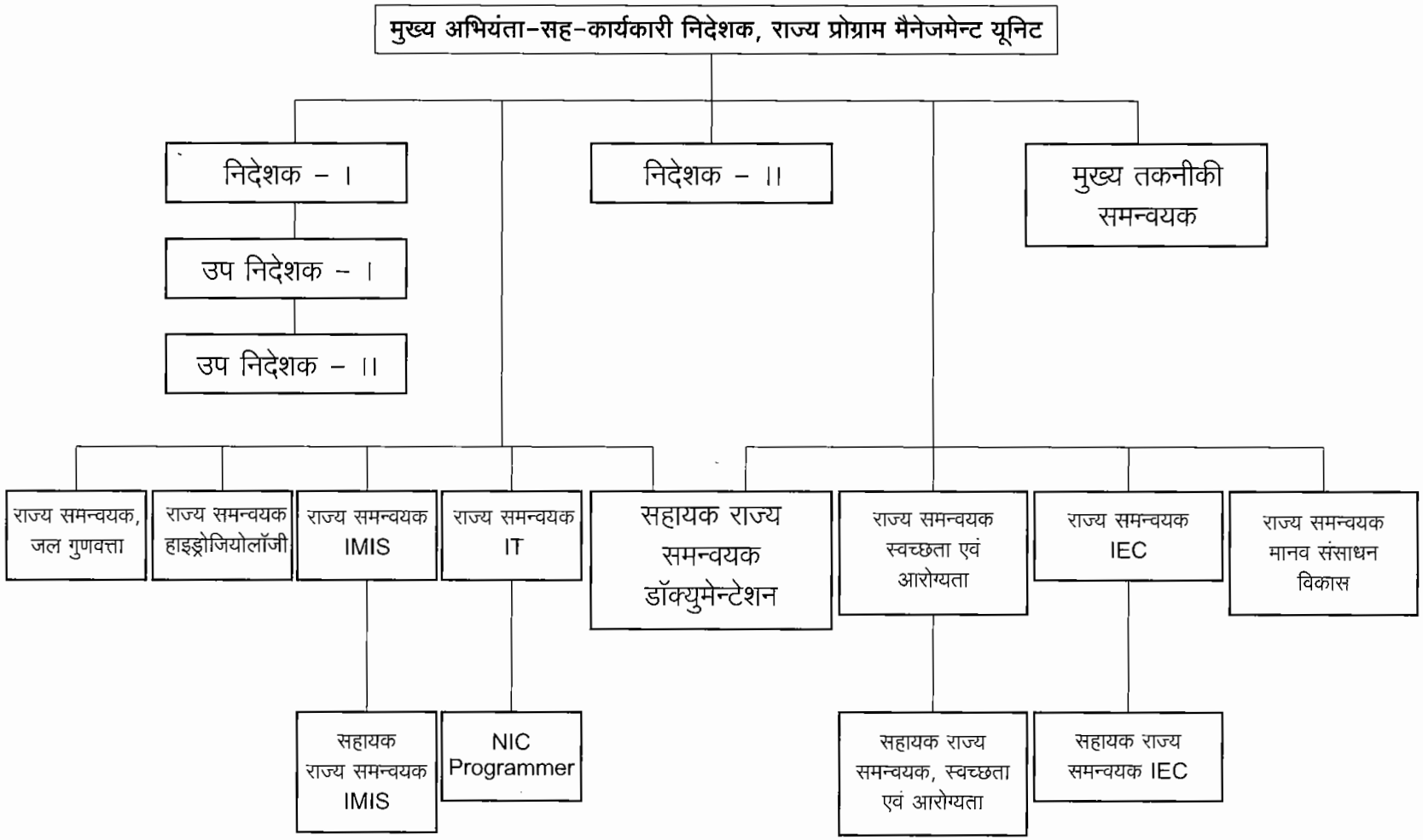

शब्द-संक्षेप

ए.पी.एल.	–	गरीबी रेखा से ऊपर
आशा	–	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ओ.डी.एफ.	–	खुले में शौच से मुक्त
बी.पी.एल.	–	गरीबी रेखा से नीचे
बी.आर.सी.	–	प्रखण्ड संसाधन केन्द्र
डी.डब्ल्यू.एस.सी.	–	जिला जल एवं स्वच्छता समिति
डी.डब्ल्यू.एस.एम.	–	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
आई.ई.सी.	–	सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण
आई.एच.एच.एल.	–	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
एन.बी.ए.	–	निर्मल भारत अभियान
एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.	–	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
पी.आर.आई.	–	पंचायती राज संस्था
मनरेगा	–	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम
आर.एस.एम.	–	ग्रामीण स्वच्छता मार्ट
एस.एस.एस.सी.	–	राज्य योजना स्वीकृति समिति
एस.डब्ल्यू.एस.एम.	–	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
टी.एस.सी.	–	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
वी.डब्ल्यू.एस.सी.	–	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति

NOTES

NOTES

झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

झारखण्ड सरकार

www.setuprinters.com, (M) : 9430345161